भारत सरकार

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 3631

दिनांक 21 मार्च, 2025 को पूछे जाने वाले प्रश्न का उत्तर

कैंसर और गुर्दे एवं यकृत संबंधी रोग

3631. श्री दिलेश्वर कामैत:

क्या **स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या बिहार के कोसी क्षेत्र की सीमा से लगे सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, झंझारपुर एवं अररिया जिलों में बाढ़ से प्रदूषित पेयजल में फ्लोराइड एवं हानिकारक रसायन की बढ़ती मौजूदगी कैंसर, गुर्दे एवं यकृत संबंधी रोगों का प्रमुख
कारण बनती जा रही है;
(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और
(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या निवारक उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

उत्तर

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री प्रतापराव जाधव)

(क) और (ख): बिहार सरकार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, बिहार में फ्लोराइड प्रभावित जिलों में औरंगाबाद, बांका, भागलपुर, गया, जमुई, कैमूर, मुंगेर, नालंदा, नवादा, रोहतास और शेखपुरा शामिल हैं। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के अनुसार बिहार में 15 जिले अत्यधिक बाढ़ से प्रभावित हैं। बाढ़ से प्रभावित जिले सुपौल, मधेपुरा, सहरसा, झंझारपुर और अररिया को फ्लोराइड प्रभावित जिले घोषित नहीं किया गया है।

(ग): जल राज्य का विषय होने के कारण, जल जीवन मिशन के अंतर्गत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के योजना निर्माण, अनुमोदन, कार्यान्वयन, प्रचालन और रखरखाव की जिम्मेदारी संबंधित राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों की होती है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय अपने कार्यक्रमों के माध्यम से तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों की सहायता करता है।

विभिन्न खाद्य पदार्थों, पर्यावरणीय पदार्थों, पेयजल आदि के माध्यम से फ्लोराइड शरीर में प्रवेश करता है। पेयजल में फ्लोराइड की अत्यधिक मात्रा लोगों को अपंग कंकाल और/या दंत फ्लोरोसिस के जोखिम में डालती है।

जल जीवन मिशन (जेजेएम) को बिहार सहित राज्यों के साथ साझेदारी में कार्यान्वित किया जा रहा है, ताकि ग्रामीण परिवारों को पर्याप्त मात्रा में, निर्धारित गुणवत्ता वाला तथा नियमित और दीर्घकालिक आधार पर पीने योग्य पानी नल द्वारा उपलब्ध कराया जा सके।

बिहार सहित देश के ग्रामीण क्षेत्रों में फ्लोराइड सहित रासायनिक संदूषकों से प्रभावित सभी बस्तियों को फ्लोराइड संदूषण रहित सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

देश में विभिन्न स्तरों अर्थात राज्य, क्षेत्रीय, जिला, उप-विभाग और/या ब्लॉक स्तर पर 2,182 पेयजल गुणवत्ता परीक्षण प्रयोगशालाओं का मजबूत नेटवर्क है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को नियमित आधार पर जल की गुणवत्ता का परीक्षण करने और जहां भी आवश्यक हो, सुधारात्मक कार्रवाई करने की सलाह दी गई है, ताकि परिवारों के लिए आपूर्ति किया जाने वाले पानी में निर्धारित गुणवत्तापूर्ण सुनिश्चित की जा सके।

*****